न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला – जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 36/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/60

प्रार्थीगण

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रावतसिंह
2. मदनसिंह पुत्र स्व. रावतसिंह निवासी ग्राम राजाबंध तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल निवासी संतधाम गुरो का तालाब कमला नेहरू नगर जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती</u>

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री रघुवीरसिंह उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या राजकीय पैरोकार।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–2/12/2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थी की पुश्तैनी सामलाती खातेदारी की भूमि ग्राम राजाबंध पटवार हल्का देवगढ तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 119, 120, 126, 128, 135, 16 भूमि आई हुई है। प्रार्थी की उक्त सामलाती भूमि की जमाबन्दी मे सहवन से प्रार्थीगणो के पिता का नाम रेवतदान दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगणो के पिता का सही नाम रावतसिंह है। प्रार्थीगणो के समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेस, बैक पासं बुक, राशन कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि मे प्रार्थीगणो के पिता का नाम रावतसिंह दर्ज हैं। प्रार्थीगणो द्वारा उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अपने पिता का अशुद्व नाम रेवतदान के स्थान पर रावतसिंह शुद्व करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया [illegible] ल किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया गया है कि प्रार्थी के पिता का [illegible] रेकर्ड मे रेवतदान दर्ज है। प्रार्थी के पिता की फौतदगी के पश्चात् [illegible] हुआ और उसमे भी नामान्तकरण संख्या 185 पर पिता का [illegible] हुआ है जो कि आज [illegible] राजस्व रेकर्ड मे बदस्तुर जारी है। प्रार्थीगणो के समस्त दस्तावेज [illegible] जांच की गई जिसमे [illegible] णो के पिता का रावतसिंह ही दर्ज हैं। मौतबिरानो से पुछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.14 09:27:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

प्रार्थिगणो के पिता का वास्तविक नाम रावतसिंह ही है व रेकर्ड मे त्रुटिवंश रेवतदान दर्ज हुआ हैं। अप्रार्थी द्वारा रेकर्ड शुद्व करने की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बहस की गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त शुद्वि के समर्थन में प्रस्तुत विभिन्न पहचान दस्तावेजों, सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रार्थिगणे द्वारा प्रस्तुत 50 रूपयें के स्टाम्प पर शपथ पत्र का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अतः पत्रावली में उपलब्ध विभिन्न दस्तावेजों, अप्रार्थी का जवाब एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम राजाबंध पटवार हल्का देवगढ तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 119, 120, 126, 128, 135, 16 के राजस्व रेकर्ड मे **प्रार्थिगणो के पिता का नाम रेवंतदान के स्थान पर रावतसिंह** नाम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है इसके अतिरिक्त किसी भी खातेदार के हिस्से मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जावे। तहसीलदार उक्तानुसार उक्त खसरों में प्रार्थीगणो के पिता का नाम शुद्व करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 02/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.14 09:27:49 IST
Reason: SelfAttested